

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 12/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,  
गोविन्द मार्ग, सेती कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री भानू प्रताप सिंह पुत्र श्री श्रीलाल बैरवा
2. श्री श्रीलाल बैरवा पुत्र श्री रामधन बैरवा
3. श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री श्रीलाल बैरवा

निवासीगण:-प्लॉट नम्बर 13-जी-ए-बी, तिरुपती बालाजी नगर, खोखावास, सांगानेर,  
जिला जयपुर, राजस्थान।

4. श्री वीर सिंह पुत्र श्री लखपत सिंह,

निवासी:-प्लॉट नम्बर 629, बम्बाला, कच्ची बस्ती, प्रताप नगर, सैक्टर 11, सांगानेर, जिला  
जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर




The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act,2002.

उपस्थित:-श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 10.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.10.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री लाल बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 13-जी-ए-बी, तिरुपती बालाजी नगर, खोखावास, सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 52.28 वर्गगज में स्थित है, को बन्धक रख कर 10,25,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.06.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मग ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002, की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्याय हित में अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की और से अभिभाषक श्री गोपेश कुम्मज ने दकालतनामा पेश किया तथा जवाब बहस हेतु समय चाहा है।
3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. सरफेसी एक्ट की धारा-14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पूर्व में जवाब बहस हेतु समय दिया जा चुका है। इसलिये अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।
5. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 10,25,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खता एन पी ए धोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 14,26,113/- रुपये जमा करने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06.06.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पास में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का शौतिक कब्जा चिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
7. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, की धारा 14 में प्रवृत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास में अप्रार्थी श्रीमती संतला देवी पत्नी श्री लाल बेरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लॉट नम्बर 13-सी-ए-बी, तिरुमती बालाजी नगर, खोखावास, सांगानेर, जिला जयपुर बीडफ्लॉट 6228 वर्गमस कम भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिमे सम्बन्धित पुलिस आवा प्राप्त किये जाने आवेदक विधे जाते है।
8. आवेदक की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपमहान्त/पुलिस अधिकांक (मागीण) जयपुर को भेज कर लिखा जाने की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने से सहयोग कर प्रार्थी वित्तीय संस्था को चिलाने हेतु सम्बन्धित आचारिकारी को निर्देशित करे एवं परतन रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्ध करे। आवेदक की प्रति हरन कमसों जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर प्रेषित संपादन हो।
9. आवेदक आता दिनांक 10.08.2022 को शरे इजलास सूचना मसा।



(सिजन विसाय)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(मिलवतार) जयपुर